



# जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मानवेन्द्र पुत्र रामचरन नि0 कमठा थाना डिकोर जनपद जालौन द्वारा युवती के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कोटरा में मु0अ0सं0 17/18 (वाद संख्या – 102/18) धारा 366/376 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 12.09.2023 को मा0 न्यायालय एडीजी/एफटीसी/सीएडब्लू/जीएसटी उर्फ़, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मानवेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 27.03.2018 को अभियोग पंजीकृत हुआ था। माननीय न्याया0 द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 05 वर्ष 05 माह में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल हिंदेश पाण्डे



कोर्ट पैरोकार आरक्षी आदित्य सोनी